



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]
No. 263]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 16, 2005/ज्येष्ठ 26, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2005/JYAISTHA 26, 1927

नागर विमानन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2005

सा.का.नि. 401(अ).—केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम/खनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, नियम 13-क का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. ए. वी. 11012/3/2003-ए]

रघु मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—1. मूल नियम राजपत्र में अधिसूचना सं. वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में तारीख 20 मई, 2005 में प्रकाशित सा. का. नि. 330(अ) द्वारा किया गया।

2. केन्द्रीय सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के खंड 14 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 14 जून, 2005 के अपने आदेश सं. ए. वी. 11012/3/2003-ए द्वारा इस अधिसूचना के मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्तों से जनहित में छूट दी है।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2005

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (3rd Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937, Rule 13A shall be omitted.

[F. No. AV. 11012/3/2003-A]

RAGHU MENON, Jt. Secy.

Note :—1. The principal rules were published in the Official Gazette of India, *Vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R. 330(E), dated 20th May, 2005 published in Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India.

2. The Central Government in exercise of the powers conferred by the proviso to Section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) has in the public interest dispensed with the condition of previous publication in case of this notification *vide* its Order No. AV. 11012/3/2003-A dated 14th June, 2005 issued in Ministry of Civil Aviation.